भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/2013-14/424
बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 81/21.06.201/2013-14 31 दिसंबर 2013

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(स्थानीय क्षेत्र के बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

बासल III पूंजी विनियमावली - ओटीसी डेरिवेटिव के लिए क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन जोखिम और केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के लिए बैंकों के एक्सपोजर के सबंध में पूंजी अपेक्षाएं

कृपया भारत में बासल III पूंजी विनियमावली का कार्यान्वयन - स्पष्टीकरण पर 28 मार्च 2013 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 88/21.06.201/2012-13 देखें, जिसमें बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सूचित किया गया था कि ओटीसी डेरिवेटिव के लिए क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन (सीवीए) जोखिम पूंजी प्रभार 1 जनवरी 2014 से लागू होंगे। ऐसा केंद्रीय प्रतिपक्षकार अर्थात् भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) के माध्यम से अनिवार्य विदेशी मुद्रा विनिमय फारवर्ड गारंटीकृत निपटान के आरंभ को देखते हुए किया गया था। चूंकि इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, इसलिए ओटीसी डेरिवेटिव के लिए क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन जोखिम पूंजी प्रभार को 1 जनवरी 2014 के बजाय 1 अप्रैल 2014 से लागू करने का निर्णय किया गया है।

2. जैसाकि 2 जुलाई 2013 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 28/21.06.201/2013-14 के द्वारा सूचित किया गया था, केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के लिए बैंकों के एक्सपोजर के संबंध में पूंजी अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश 1 जनवरी 2014 से लागू हो जाएंगे।

भवदीय,

(चंदन सिन्हा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं और 13वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001
टलीफोन /Tel No: 22661602, 22601000 फैक्स/Fax No: 022-2270 5670, 2260 5671, 5691 2270, 2260 5692
Department of Banking Operations and Development, Central Office, 12th & 13th Floor, Central Office Bhavan, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400001
Tel No: 22661602, 22601000 Fax No: 022-2270 5670, 2260 5671, 5691 2270, 2260 5692

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए